यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/99/2018 **दिनांक :** 20.08.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

वेतन पुनरीक्षण माँग पत्र पर द्विपक्षीय वार्ता

जैसा कि आपको पूर्व में सूचित किया गया था द्विपक्षीय वार्ता का एक और दौर दिनांक 18.08.2018 को मुम्बई में सम्पन्न हुआ। इस बैठक के विषय में कामगार यूनियनों नामतः एआईबीईए–एनसीबीई–बैफी–इन्बैफ–एनओबीडब्लू द्वारा जारी संयुक्त परिपत्र को एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपने परिपत्र संख्या 28/73/2018/36 दिनांक 20.08.2018 के माध्यम से पुर्नप्रसारित किया है। हम इस परिपत्र का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं तथा सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

वेतन पुनरीक्षण माँग पत्र पर द्विपक्षीय वार्ता
18.08.2018 को आईबीए के साथ चर्चा
एआईबीईए–एनसीबीई–बैफी–इन्बैफ–एनओबीडब्लू द्वारा जारी संयुक्त परिपत्र

''जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया था, द्विपक्षीय वार्ता (लघु समिति चर्चा का 8वाँ दौर) का एक और दौर इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा 5 कामगार यूनियनों के साथ मुम्बई में कल आयोजित किया गया था।

आईबीए की टीम में शामिल थे

श्री राजकिरन राय जी (प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया)– कमेटी के चेयरमैन
श्री बी.राजकुमार, उप मुख्य कार्यकारी, आईबीए
श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबंधक–मानव संसाधन, बैंक ऑफ इण्डिया
श्री पुनीत जैन, महाप्रबंधक–मानव संसाधन, पीएनबी
श्री टी.एस. शेषाद्री, महाप्रबंधक–मानव संसाधन, इण्डियन बैंक
श्री एस.के सूरी, महाप्रबंधक–मानव संसाधन, इलाहाबाद बैंक
श्री संजय प्रकाश, उप महाप्रबंधक–मानव संसाधन, एसबीआई
श्री एस.के. कक्कड़, वरिष्ठ सलाहकार–मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध, आईबीए
श्री के.एस. चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध, आईबीए

जारी पृष्ठ 2

हमारी टीम में हमारी 5 कामगार यूनियनों से प्रतिनिधि शामिल थे जो निम्न प्रकार हैं

साथी सी एच वेंकटचलम्, एआईबीईए
साथी राजेन नागर, एआईबीईए
साथी एस के बन्दलीश, एनसीबीई
साथी बालाजी, एनसीबीई
साथी प्रदीप विश्वास, बैफी
साथी सुभाष सावंत, इन्बैफ
साथी उपेन्द्र कुमार, एनओबीडब्लू

बैठक में हमारी यूनियनों तथा आईबीए की लघु समिति टीम के बीच हुई वार्ता के पिछले 7 दौर में अब तक हुई चर्चाओं का जायजा लिया गया और निम्नलिखित संभावित सहमति पर पहुंचे।

- समझौता 01.11.2017 से प्रभावी होगा।
- समझौता 37 बैंकों (20 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, 10 निजी बैंकों और 7 विदेशी बैंकों) को कवर करेगा। आईडीबीआई बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड से अधिकार–पत्र प्राप्त किए जाने है।
- जब एक कर्मचारी एक स्थान से दूसरे के लिए स्थानांतरित किया जाता है, सामान्य मकान किराया भत्ता के बजाय, उसे किराया रसीद के आधार पर मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जायेगा। उपयुक्त सीमायें निर्धारित की जायेंगी।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र/ईपीजेड, आदि में स्थित शाखाओं को परियोजना क्षेत्रों के सममूल्य पर मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जाना है।
- अर्जित अवकाश (एलएफसी के अलावा) का लाभ उठाने के लिए नोटिस अवधि 10 दिनों तक कम हो जाएगी।
- बीमारी के आधार पर लिया गया अर्जित अवकाश जब कि कोई रूग्णावकाश नहीं है अर्जित अवकाश का लाभ लेने के एक अवसर के रूप में गणना नहीं की जायेगी।
- 30 वर्ष की सेवा के उपरांत, अतिरिक्त रूग्णावकाश प्रतिवर्ष 1 माह स्वीकृत किया जायेगा जो सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 720 दिन तक होगा (यह अभी 630 दिन है) अर्थात् 3 माह का अतिरिक्त रूग्णावकाश।
- महिला कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके अपने बच्चों (8 वर्ष तक) की बीमारी के लिए रूग्णावकाश का लाभ उठा सकती हैं।
- वेतन की हानि पर असाधारण अवकाश एक बार में 120 दिनों के लिए लिया जा सकता है (यह अभी 90 दिन है)।
- प्रसूति अवकाश का लाभ अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजन/निरंतरता में उठाया जा सकता है।
- प्रसूति अवकाश की अवधि का लाभ लेने के उपरांत प्रसूति के लिए चिकित्सा बिलों को बैंक में कार्यग्रहण के बाद दिया जा सकता है।
- हिस्ट्रेक्टोमी के लिए वेतन के साथ 2 माह का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा जहाँ चिकित्सा अवकाश सीमा समाप्त हो चुकी है।
- पितृत्व अवकाश बच्चा गोद लेने के मामले में भी स्वीकृत किया जा सकता है।
- कर्फ्यू, दंगों, निषेध आदेशों, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, आदि के कारण कार्यालय से अनुपस्थिति को ड्यूटी पर विशेष अवकाश के रूप में माना जायेगा।

जारी पृष्ठ 3

- अवकाश किराया छूट : अनुमत दूरी को गैर–अधीनस्थ के लिए 2200 किमी/4400 किमी तथा अधीनस्थ के लिए 2600 किमी/5200 किमी के रूप में संशोधित किया जायेगा (केवल वास्तविक यात्रा के लिए और नकदीकरण के लिए नहीं)
- सड़क यात्रा व्यय शुल्क को रू0 6 प्रति किमी से रू0 8 प्रति किमी. तक संशोधित किया जायेगा।
- शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस रेलों (एक्सीक्यूटिव क्लास के अतिरिक्त) द्वारा रेल किराये की अवकाश किराया छूट के तहत प्रतिपूर्ति की जाएगी यदि इन रेलों द्वारा यात्रा की जाती है। (नकदीकरण के लिए, मौजूदा नियम जारी रहेंगे)।
- अवकाश किराया छूट पर स्थानीय पर्यटन स्थलों के लिए शुल्क की स्वीकृत ऑपरेटर से बिल की प्रस्तुति पर पात्रता के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- रेल किराये पर जीएसटी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए, अवकाश किराया छूट गुवाहाटी से शुरू होगी और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक के किराया अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार, अंडमान निकोबार द्वीप से चैन्नई/कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमालय और जम्मू एण्ड कश्मीर में दूर–दराज शाखाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन सामान्य पात्रता के अतिरिक्त एलएफसी के तहत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- एलएफसी के तहत वास्तविक यात्रा के लिए, टिकट बुकिंग की तिथि को गतिशील किराया प्रणाली के तहत रेल किराये की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 2 वर्ष के ब्लॉक और 4 वर्ष के ब्लॉक के बीच चयन करने के लिए एक और विकल्प दिया जायेगा।
- आश्रितों की परिभाषा के लिए आय मानदंड रू0 10,000 से रू0 12000 में संशोधित किया जायेगा।
- स्वैच्छिक सेवा समाप्ति योजना के तहत सेवा से हटाये गए कर्मचारी पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र होंगे, यदि अन्यथा पात्र हैं।
- स्वैच्छिक सेवा समाप्ति योजना के तहत सेवा से हटाये गए कर्मचारियों को निर्णय के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जायेगा।
- महिला बैंक कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेचे की सुविधा की सरकारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी।
- उन कर्मचारियों के लिए जिनको तैनाती नीति के तहत स्टेशन से बाहर स्थानांतरण किया गया है, क्षतिपूर्ति राशि को रू0 400 से रू0 600 प्रतिमाह संशोधित किया जायेगा।
- जब कर्मचारी दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण के दौरान अपनी चल संपत्ति को ले जाता है, तो टूट–फूट शुल्क का भुगतान लिपिकों के लिए रू0 1650 और अधीनस्थ के लिए रू0 1100 (रसीद प्रस्तुत करने पर) अथवा लिपिकों के लिए रू0 1100 और अधीनस्थ के लिए रू0 825 (घोषणा के आधार पर) किया जायेगा।
- परिवार की परिभाषा के लिए, कर्मचारियों के शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को आय मानदंड की दशा में उनके विवाह के बाद भी आश्रित माना जायेगा।
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ते में संशोधन/वृद्धि के लिए सरकार को उपयुक्त रूप से अग्रेषित किया जायेगा।
- आयकर के दायरे से संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों की छूट की हमारी मांग को विचार के लिए सरकार को अग्रेषित किया जायेगा।
- नई पेंशन योजना के तहत सेवा शुल्कों को कर्मचारियों से वसूल नहीं किया जायेगा और बैंकों द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- जब कर्मचारियों को आधिकारिक कर्तव्यों के लिए बाहर भेजा जाता है, तो आगे की चर्चा के बाद दैनिक भत्ता/विराम भत्ता की दर में वृद्धि होगी।

जारी पृष्ठ 4

- ऐसे अवसरों में होटल किराए की प्रतिपूर्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार किये जायेंगे जो निश्चित सहमत सीमाओं के अधीन होगें।
- 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्तों/उनकी जीवित पति/पत्नी को देय अनुग्रह राशि में वृद्धि के लिए सरकार को अग्रेषित किया जायेगा।
- अन्य भत्तों जैसे साईकिल भत्ता, धुलाई भत्ता, विभाजित सेवा भत्ता, आदि में 15% वृद्धि की जाएगी।

मुद्दे जिन पर आगे चर्चा होनी है/अंतिम रूप से तय किए जाने हैं :

- वेतन में वृद्धि की कुल मात्रा
- नए वेतनमान की गणना के लिए महंगाई भत्ते के विलय के लिए सूचकांक बिन्दु
- मूल वेतन के साथ विशेष वेतन का विलय
- पुनरीक्षित महंगाई भत्ता सूत्र
- विशेष वेतन, नियत व्यक्तिगत वेतन, प्राविधिक शिक्षा वेतन में पुनरीक्षण
- अवरोध वेतन वृद्धि में सुधार
- मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता में वृद्धि
- अवकाश बैंक प्रणाली, शिशु देखभाल अवकाश, अध्ययन अवकाश, अर्जित अवकाश में वृद्धि/अर्जित अवकाश का नकदीकरण
- वार्षिक चिकित्सा सहायता में वृद्धि और चिकित्सा बीमा योजना में सुधार
- उपदान की गणना के लिए सूत्र में सुधार
- एक ही बैंक में कार्यरत पति तथा पत्नी के लिए अवकाश किराया छूट की अलग–अलग पात्रता
- 5 दिवसीय बैंकिंग
- 12% की दर से भविष्य निधि अंशदान
- उत्तर पूर्व भत्ता
- पारिवारिक पेंशन के लिए सूत्र में सुधार
- पेंशन का आवधिक अद्यतन
- नए भर्ती कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर महंगाई भत्ते से जुड़ी पेंशन
- पेंशनभोगियों की सभी श्रेणियों को 11वें द्विपक्षीय समझौते के सामान्य सूचकांक स्तर पर लाना
- अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियायें, दण्ड आदि

पूर्ण नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक का अगला दौर सितम्बर, 2018 के प्रथम सप्ताह तक आयोजित किया जायेगा। आगामी प्रगति के विषय में सदस्यों को उचित समय में सूचित किया जायेगा।''

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री